

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।

संख्या 6820 / आ0ले0-जि0अ0-2014

दिनांक  
आदेश

15, जुलाई

2014

जिले में डूडा द्वारा कराये जा रहे समस्त कार्यों का सत्यापन कराया जा रहा है। अतः सत्यापन का परिणाम आने तक डूडा के अन्तर्गत कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जायेगा। नया कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रश्नगत स्थल का कार्य करने से पूर्व, कार्य के मध्य व कार्य के समाप्ति का फोटोग्राफ अवश्य लिया जायेगा जो सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायेगा। नया कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति के लिए अपेक्षित निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जायेगी। यदि बिना अनुमति प्राप्त किये कोई नया कार्य प्रारम्भ हुआ तो सम्बन्धित ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करते हुए परियोजना अधिकारी डूडा के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी और उक्त कार्य श्रम घोषित कर दिया जायेगा।

(एन0के0एस0चौहान)  
जिलाधिकारी  
फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी / परियोजना निदेशक डूडा को अनुपालनार्थ।
- 2- परियोजना अधिकारी डूडा का अनुपालनार्थ।
- 3- जिला सूचना अधिकारी फर्रुखाबाद को प्रकाशनार्थ।

(एन0के0एस0चौहान)  
जिलाधिकारी  
फर्रुखाबाद।